राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 1(1)तशि/2018/पार्ट जयपुर, दिनांक : 18.3.2020

कुलपति/रजिस्ट्रार
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

कुलपति/रजिस्ट्रार
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर/
महिला अजमेर/बीकानेर/
बांसवाडा/भरतपुर/ करौली/
धौलपुर/बारां/बाडमेर/एमएलवीटीई, भीलवाडा

विषय–COVID-19 बीमारी को फैलने की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरियां बनाये रखने पर सलाह।
(Advisory on Social Distancing Measure in view of spread of COVID-19 disease)

उपरोक्त विषयान्तर्गत COVID-19 बीमारी को फैलने की रोकथाम के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी एडवाइजरी की फोटोप्रति संलग्न कर लेख है कि आपके विभाग/संस्था के कार्यालय के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में भी इसकी पालना जनहित में सुनिश्चित कराई जावे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त सचिव (JS-II)/सहायक शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त स्टॉफ को भी उक्तानुसार सूचित करायें।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर

COVID-19 बीमारी की फैलने की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरियां बनाये रखने पर सलाह
(Advisory on Social Distancing Measure in view of spread of COVID-19 disease)

सामाजिक दूरी बनाये रखना एक गैर–फार्मास्युटिकल हस्तक्षेप (Interventions) है जिसका प्रभावी क्रियान्वयन करके संक्रमण की रोकथाम तथा नियंत्रण किया जा सकता है। जिससे समुदाय में जो लोग बीमारी से संकमित है तथा जो बीमारी से संक्रमित नही है, जिनके मध्य बीमारी के फैलने की दर को कम या रोका जा सकता है। इसके प्रभावी कियान्वयन करने से समुदाय में रोग के कारण होने वाले रोग फैलना (Spread), अस्वस्थता (Morbidity), मृत्यु (Mortality)को कम किया जा सकता है।

प्रस्तावित हस्तक्षेप (Interventions) के अतिरिक्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार ऐसे अन्य उपाय भी कर सकती है जिसे वह आवश्यक मानती है।

ये सभी प्रस्तावित हस्तक्षेप (Interventions) 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेंगें। परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर समीक्षा की जायेगी।

निम्नलिखित हस्तक्षेप (Interventions) प्रस्तावित है–

1. सभी शैक्षिक प्रतिष्ठान (स्कूल, विश्वविद्यालय आदि), जिम, संग्रहालय, सांस्कृतिक तथा सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल तथा थियेटर को बंद करना है। छात्रों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना है।
2. परीक्षा स्थगित करने की संभावना पर विचार कर किया जा सकता है। छात्रों के मध्य 1 मीटर का फासला सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।
3. निजी क्षेत्र के संगठन/नियोक्ताओं के कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करें, जहां भी सम्भव हो।
4. जहां तक सम्भव हो, बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस की माध्यम से की जायेगी। जब तक आवश्यक न हो तो बड़ी संख्या में शामिल होने वाले व्यक्तियों की बैठकों को छोटा या पुर्ननिर्धारित करें।
5. Restaurants यह सुनिश्चित करें कि बार–बार छूने वाली सतहों की सफाई तथा हैंडवास प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि दो टेबिल के मध्य कम से कम 1 मीटर का फासला हो, खुली हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित करें जहां पर्याप्त दूरियां हो।

6. पहले से ही नियोजित/योजनाबद्ध शादियों में आंगतुकों की संख्या सीमित रखें, सभी गैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोहों को स्थगित करें।
7. स्थानीय अधिकारियों के द्वारा खेल आयोजन तथा प्रतियोगिताओं के आयोजकों से सम्पर्क / संवाद स्थापित कर ऐसे होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित करने की सलाह दी जा सकती है।
8. स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ऐसे धार्मिक नेताओं तथा Opinion लीडर से संवाद स्थापित कर सकते है जहां पर अधिक संख्या में आमजन एकत्रित होते है। वहां पर सुनिश्चित करें कि ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो और लोगों के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी हों।
9. स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा व्यापारी संध तथा स्टेकहोल्डर के साथ बैठक की जायें कि ताकि वे कार्य समय को नियमित कर सकें तथा क्या करें और क्या नही करें के बारे भी कार्य कर सके। और जहां आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस डिपों, रेलवे स्टेशन, डाकघर आदि स्थानों पर प्रचार–प्रसार अभियान चलायें।
10. सभी व्यावसायिक गतिविधियों में ग्राहकों के मध्य एक मीटर की दूरी रखनी चाहिए। बाजारों में अधिक भीड़ न हो इसके लिए उपाय किया जायें।
11. गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन बस, रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज में अधिकतम दूरी बनाये, इसके अतिरिक्त सतहों को नियमित तथा उचित रूप से विसंक्रमित करना सुनिश्चित करें।
12. चिकित्सालयों में COVID-19 से सम्बंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन करें। चिकित्सालय में मरीज से मिलने वाले परिजन/दोस्त/बच्चों को प्रतिबंधित करें।
13. स्वच्छता तथा शारीरिक दूरी को बनाए रखें। हाथ मिलाना तथा गले लगने जैसे अभिवादन से बचें।
14. Online Ordering Services में कार्य करने वाले पुरूष/महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनायें।
15. समुदाय को लगातार तथा निरंतर सूचित रखें।